

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती उषा

बनाम

श्रीमान केशव

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

281/2025

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|-------------|---|
| 10/6/25 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री/श्रीमती <u>उषा</u></p> <p>W/O पति श्री <u>केशव कुमार खोसला</u></p> <p>निवासी- <u>कोटा, डी.ए.ए. नगर</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>कोटा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2609, 2610, 2611</u> <u>0.09, 1.55, 0.4</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>2.04</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>कोटा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2609, 2610, 2611</u> <u>0.09, 1.55, 0.4</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>2.04</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षर <u>10 हजार 1 हजार</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(नीचे हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |